

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य सचिव)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत गिहार- नई दिल्ली

पत्रांक: स0पुर/एन0ओ0सी0/

/2012-2013 दिनांक 14-1-2013

विषय: विच्छेद वली एकेडमी, अम्बेहटाचौद (सहारनपुर) सहारनपुर को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

माहोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि. शारानादेश संख्या-1916/15-7-08-(299)/2009
शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति को विच्छेद वली
एकेडमी, अम्बेहटाचौद (सहारनपुर) को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान
किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सांसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध-समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नैसर्गिक
पञ्चा के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद
द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया
जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी तथा सेंट्रल गेट
ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इम्प्रूवमेंट स्कूल सर्टिफिकेट इन्वार्मेन्शन
नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा
राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था को उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई
कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजस्व सहायता प्राप्त शिक्षण सम्बन्धित
कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं
दिये जायेंगे।
- 7- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन
करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकृत हो रखा जायेगा।

02

Manager

Wisdom Valley Academy
Amritsar

Principal

Wisdom Valley Academy
Amritsar

(2)

- 10- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 11- उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती मंजु शर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

/2012-2013 तददिनांक।

पृ० सं०: स०पुर/एन०ओ०सी०/ ६१५५-६३

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 2- आयुक्त (अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 3- जिलाधिकारी (सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
- 4- शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पाक रोड, लखनऊ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
- 6- प्रबन्धक, विज्डम वैली एकेडमी, अम्बेहटाचौद (सहारनपुर)।
- 7- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित पत्रावली पर।

(श्रीमती मंजु शर्मा) 04/01/2013

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/

सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।


Manager

Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpur)


Principal

Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpur)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबंधक / प्रधानाध्यापक

विजय वैली एकेडमी

अम्बेहा चंद, रामपुर मनिहारान।

पत्रांक : मान्यता / 5074 / 2012-13

दिनांक : 21.7.12

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 16-07-2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं विजय वैली एकेडमी (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख X से तारीख X तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अनिवार्य मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

Manager
Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpur)

Principal
Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpur)

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ;
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा ;
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःश्वतता प्ररत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित/न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 1- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भड़ागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपपरकरो/पुस्तकालय की उपलब्धता

Manager

Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpu)

Principal

Wisdom Valley Academy

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक पी/स्प-6 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

पृ०सं०/मान्यता/

/2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।


Manager
Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpu)


Principal
Wisdom Valley Academy
Ambehta Chand, (Saharanpur)